

# ईसीजीसी लिमिटेड

## कारोबार आचार संहिता एवं नैतिकता

### (बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए)

#### **1.0 प्रस्तावना**

- 1.1 इस संहिता को ईसीजीसी लिमिटेड (जिसे आगे "कंपनी" कहा जाएगा) के "बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए कारोबार आचार एवं नैतिकता संहिता" कहा जाएगा।
- 1.2 इस संहिता का उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना है।
- 1.3 बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए यह संहिता विशेष रूप से लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में तैयार की गई है।
- 1.4 यह निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन की तिथि से लागू होगा।

#### **2.0 परिभाषाएं एवं व्याख्याएं**

- 2.1 "बोर्ड सदस्य" शब्द का तात्पर्य कंपनी के निदेशक मंडल के निदेशकों से होगा।
- 2.2 "पूर्णकालिक निदेशक" अथवा "कार्यात्मक निदेशक" शब्द का तात्पर्य कंपनी के निदेशक मंडल के उन निदेशकों से होगा, जो कंपनी में पूर्णकालिक रोजगार में हैं।
- 2.3 "अंशकालिक निदेशक" शब्द का तात्पर्य कंपनी के निदेशक मंडल के उन निदेशकों से होगा, जो कंपनी में पूर्णकालिक रोजगार में नहीं हैं।
- 2.4 "रिश्तेदार" शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) में परिभाषित किया गया है।
- 2.5 "वरिष्ठ प्रबंधन" शब्द का तात्पर्य कंपनी के उन कार्मिकों से होगा, जो निदेशक मंडल को छोड़कर इसकी मुख्य प्रबंधन टीम के सदस्य हैं एवं इसमें सभी कार्यात्मक प्रमुखों सहित पूर्णकालिक निदेशकों से एक स्तर निम्न प्रबंधन के सभी सदस्य शामिल होंगे।
- 2.6 "कंपनी" शब्द का अर्थ "ईसीजीसी लिमिटेड" होगा।

**टिप्पणी:** इस संहिता में पुल्लिंग का अर्थ प्रदर्शित करने वाले शब्दों में स्त्रीलिंग भी शामिल होगा तथा एकवचन का अर्थ प्रदर्शित करने वाले शब्दों में बहुवचन अथवा इसके विपरीत भी शामिल होगा।

### **3.0 प्रयोज्यता:**

3.1 यह संहिता निम्नलिखित कार्मिकों पर लागू होगी:

क) कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित सभी पूर्णकालिक निदेशक।

ख) कानून के प्रावधानों के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी अंशकालिक निदेशक।

ग) वरिष्ठ प्रबंधन।

3.2 पूर्णकालिक निदेशक एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक कंपनी की अन्य लागू / लागू होने वाली पॉलिसियों, नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन करना जारी रखेंगे।

### **4.0 संहिता की विषय-वस्तु:**

भाग I सामान्य नैतिक अनिवार्यताएं

भाग II विशिष्ट कारोबारी उत्तरदायित्व

भाग III बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान

4.1 इस संहिता का उद्देश्य कारोबारी कार्य के परिचालन में नैतिक निर्णय लेने हेतु आधार प्रदान किया जाना है। यह कारोबारी नैतिक मानकों के उल्लंघन से संबंधित औपचारिक शिकायत की योग्यता पर निर्णय लेने के लिए आधार के रूप में भी कार्य कर सकता है।

4.2 यह समझा जाता है कि आचार संहिता एवं आचरण दस्तावेज़ में कुछ शब्द एवं वाक्यांश अलग-अलग व्याख्याओं के अधीन हैं। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में, बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

## भाग- I

### 5.0 सामान्य नैतिक अनिवार्यताएं

#### 5.1 समाज एवं मानव कल्याण में योगदान दें

5.1.1 सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता से संबंधित, यह सिद्धांत मौलिक मानव अधिकारों की रक्षा करने एवं सभी संस्कृतियों की विविधता का सम्मान करने के दायित्व की पुष्टि करता है। हमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि हमारे प्रयासों के परिणाम सामाजिक रूप से उत्तरदायी तरीके से उपयोग किए जाएंगे, सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेंगे तथा दूसरों के स्वास्थ्य तथा कल्याण पर हानिकारक प्रभावों से बचाएंगे। सुरक्षित सामाजिक वातावरण के अतिरिक्त, मानव कल्याण में सुरक्षित प्राकृतिक वातावरण भी शामिल है।

5.1.2 इसलिए, सभी बोर्ड सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन, जो कंपनी के उत्पादों के डिजाइन, विकास, विनिर्माण तथा प्रचार के लिए उत्तरदायी हैं, उन्हें मानव जीवन एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कानूनी तथा नैतिक उत्तरदायित्व के प्रति सचेत रहना चाहिए एवं दूसरों को भी इसके बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।

#### 5.2 ईमानदार एवं भरोसेमंद बनें तथा सत्यनिष्ठा का पालन करें

5.2.1 निष्ठा एवं ईमानदारी, विश्वास के आवश्यक घटक हैं। विश्वास के बिना कोई संगठन प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकता है।

5.2.2 सभी बोर्ड सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सार्वजनिक उद्यम का कारोबार परिचालित करते समय व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक सत्यनिष्ठा, ईमानदारी तथा नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों के अनुरूप कार्य करें।

#### 5.3 निष्पक्ष रहें एवं भेदभाव नहीं किए जाने हेतु कार्यवाही करें

5.3.1 समानता, सहिष्णुता, दूसरों के प्रति सम्मान तथा समता एवं न्याय के सिद्धांत इस अनिवार्यता को नियंत्रित करते हैं। रस, लिंग, धर्म, जाति, आयु, भाषा, दिव्याङ्गता, राष्ट्रीय मूल अथवा ऐसे अन्य कारकों के आधार पर भेदभाव इस संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है।

#### **5.4 गोपनीयता का सम्मान करें**

- 5.4.1 ईमानदारी का सिद्धांत सूचना की गोपनीयता के मामलों पर भी लागू होता है। नैतिक प्रसंग यह है कि सभी हितधारकों के प्रति गोपनीयता के सभी दायित्वों का सम्मान किया जाए, जब तक कि कानून की अपेक्षाओं अथवा इस संहिता के अन्य सिद्धांतों के कारण इस प्रकार के दायित्वों से मुक्ति नहीं मिल जाएं।
- 5.4.2 इसलिए, सभी बोर्ड सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा कंपनी के कारोबार एवं मामलों के बारे में सभी गोपनीय अप्रकाशित जानकारी की गोपनीयता बनाए रखा जाएगा।

#### **5.5 प्रतिज्ञा एवं अनुपालन**

- 5.5.1 गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी एवं पारदर्शिता लाने के लिए निरंतर प्रयास करना।
- 5.5.2 जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए अथक प्रयास करें।
- 5.5.3 सतर्क रहें एवं कंपनी की वृद्धि एवं प्रतिष्ठा के लिए कार्य करें।
- 5.5.4 संगठन को गौरवान्वित करना एवं कंपनी के हितधारकों को मूल्य-आधारित सेवाएं प्रदान करना।
- 5.5.5 निष्ठापूर्वक तथा बिना किसी भय अथवा पक्षपात के अपना कर्तव्य निभाएं।

## भाग II

### 6.0 विशिष्ट पेशेवर उत्तरदायित्व

#### 6.1 कंपनी के विज्ञान, मिशन एवं मूल्यों का पालन करें

प्रत्येक दिन कंपनी के विज्ञान, मिशन एवं मूल्यों का पालन करें। त्वरित संदर्भ हेतु, वे निम्नानुसार हैं:

#### विज्ञान

निर्यात ऋण बीमा एवं व्यापार संबंधी सेवाओं को उत्कृष्ट बनाना।

#### मिशन

भारतीय निर्यात बाजार की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध श्रोतों का अनुकूल उपयोग करते हुए किफ़ायती बीमा तथा व्यापार संबंधी सेवाएँ प्रदान कर भारतीय निर्यात उद्योग की सहायता करना।

#### मूल्य

- उत्कृष्टता एवं परिवर्तन हेतु प्रोत्साहन
- सभी मामलों में ईमानदारी एवं निष्पक्षता
- व्यक्तियों की गरिमा एवं क्षमता का सम्मान
- प्रतिबद्धताओं का कड़ाई से अनुपालन
- प्रतिक्रिया की गति सुनिश्चित करें
- फोर्स्टर लर्निंग, क्रिएटिविटी एवं टीम वर्क
- कंपनी के प्रति निष्ठा एवं गर्व

#### 6.2 पेशेवर कार्य की प्रक्रियाओं एवं उत्पादों दोनों में उच्चतम गुणवत्ता, प्रभावशीलता एवं गरिमा प्राप्त करने का प्रयास करें

संभवतः उत्कृष्टता एक पेशेवर का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। इसलिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने पेशेवर कार्य में उच्चतम गुणवत्ता, प्रभावशीलता एवं गरिमा प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जाना चाहिए।

### **6.3 पेशेवर योग्यता अर्जित करें एवं उसे बनाए रखें**

उत्कृष्टता उन व्यक्तियों पर निर्भर करती है जो पेशेवर योग्यता प्राप्त करने एवं उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी लेते हैं। इसलिए, सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे योग्यता के उपयुक्त स्तर के लिए मानक निर्धारित करने में भाग लें तथा उन मानकों को प्राप्त करने का प्रयास करें।

### **6.4 कानूनों का अनुपालन**

कंपनी के निदेशक मण्डल के सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन मौजूदा स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन करेंगे। उन्हें कंपनी के कारोबार से संबंधित पॉलिसियों, प्रक्रियाओं, नियमों एवं विनियमों का भी पालन करना चाहिए।

### **6.5 उचित पेशेवर समीक्षा स्वीकार करें एवं प्रदान करें**

गुणवत्तापूर्ण पेशेवर कार्य, पेशेवर समीक्षा एवं टिप्पणियों पर निर्भर करता है। जब भी उपयुक्त हो, व्यक्तिगत सदस्यों को सहकर्मि समीक्षा का अनुसरण करना चाहिए एवं उसका उपयोग करना चाहिए, साथ ही अपने सहकर्मियों के कार्य की आलोचनात्मक समीक्षा भी करनी चाहिए।

### **6.6 कार्य जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कार्मिकों एवं संसाधनों का प्रबंधन करें**

संगठनात्मक नेताओं की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि साथी कार्मिकों के लिए अनुकूल कार्य एवं कारोबारी वातावरण बनाया जाए जिससे वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। निदेशक मण्डल के सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन सभी कार्मिकों की मानवीय गरिमा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे, कंपनी के कार्मिकों को सभी आवश्यक सहायता एवं सहयोग प्रदान करके उनके पेशेवर विकास को प्रोत्साहित तथा समर्थन करेंगे, जिससे कार्य की गुणवत्ता बढ़ेगी।

### **6.7 ईमानदार रहें एवं किसी भी प्रलोभन से बचें**

निदेशक मण्डल के सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने परिवार अथवा अन्य संबंधों के जरिए, कंपनी से संबंधित संव्यवहार से उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्तिगत शुल्क, कमीशन अथवा अन्य प्रकार के

पारिश्रमिक की मांग नहीं करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण मूल्य के उपहार अथवा अन्य लाभ शामिल हैं, जो कभी-कभी संगठन के कारोबार को प्रभावित करने अथवा किसी एजेंसी को अनुबंध देने आदि के लिए दिए जा सकते हैं।

#### **6.8 कॉर्पोरेट अनुशासन का पालन करें:**

कंपनी में संप्रेषण का प्रवाह कठोर नहीं है एवं लोग सभी स्तरों पर अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। यद्यपि निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया में विचारों का मुक्त आदान-प्रदान होता है, लेकिन बहस समाप्त होने एवं पॉलिसी पर आम सहमति स्थापित होने के पश्चात, सभी से अपेक्षा की जाती है कि वे इसका अनुपालन करें, भले ही कुछ मामलों में कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से इससे सहमत न हो। कुछ मामलों में, पॉलिसियाँ कार्रवाई के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं, जबकि अन्य मामलों में वे कार्रवाई में अवरोध डालने के लिए बनाई जाती हैं। सभी को अंतर को पहचानना सीखना चाहिए तथा समझना चाहिए कि उन्हें उनका पालन क्यों करना चाहिए।

#### **6.9 इस प्रकार का आचरण अपनाएँ, जो कंपनी की साख को दर्शाए**

सभी से अपेक्षा की जाती है कि वे झूठी के दौरान तथा उसके पश्चात भी अपना आचरण इस प्रकार से अपनाएँ जो कंपनी की साख को दर्शाए। उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण एवं व्यवहार का कुल योग कंपनी की प्रतिष्ठा तथा संगठन में तथा आम जनता द्वारा कंपनी के बारे में की जाने वाली धारणा पर प्रभाव डालता है।

#### **6.10 कंपनी के हितधारकों के प्रति जवाबदेह बनें**

वे सभी लोग जिन्हें कंपनी सेवाएं प्रदान करती है, जो इसके ग्राहक हैं, जिनके बिना कंपनी का कारोबार नहीं चल सकता, शेयरधारक, जिनकी इसके कारोबार में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है, कार्मिक, जिनका इसमें निहित स्वार्थ है, विक्रेता, जो कंपनी को समय पर आपूर्ति करने में सहयोग करते हैं तथा समाज, जिसके प्रति कंपनी अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी है - सभी कंपनी के हितधारक हैं। इसलिए, सभी को हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि वे कंपनी के हितधारकों के प्रति जवाबदेह हैं।

### **6.11 कारोबारी जोखिमों की पहचान, शमन एवं प्रबंधन**

कंपनी के किसी कार्य अथवा संचालन क्षेत्र से जुड़े कारोबारी जोखिमों की पहचान करने के लिए कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे का पालन करना एवं ऐसे जोखिमों के प्रबंधन की कंपनी-व्यापी प्रक्रिया में सहायता करना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, जिससे कंपनी द्वारा अपने व्यापक कारोबारी उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

### **6.12 कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा करें**

निदेशक मण्डल के सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी की भौतिक परिसंपत्तियों, सूचना तथा बौद्धिक अधिकारों सहित परिसंपत्तियों की रक्षा करेंगे एवं उनका उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं करेंगे।

### भाग III

- 7.0** निदेशक मण्डल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान
- 7.1 निदेशक मण्डल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के रूप में**  
वे जिस निदेशक मण्डल एवं समितियों में कार्यरत हैं, उनकी बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेने का दायित्व लेंगे।
- 7.2 निदेशक मण्डल के सदस्यों के रूप में**
- 7.2.1 वे कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कंपनी सचिव को अपने अन्य निदेशक मण्डल पदों, अन्य व्यवसाय के साथ संबंध एवं अन्य घटनाओं / परिस्थितियों / स्थितियों में किसी भी परिवर्तन के बारे में सूचित करने का दायित्व लेंगे, जो निदेशक मण्डल / निदेशक मण्डल उप-समिति के कर्तव्यों को निभाने की उनकी क्षमता में हस्तक्षेप कर सकते हैं अथवा निदेशक मण्डल के इस निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं कि क्या वे डीपीई के दिशानिर्देशों की स्वतंत्रता आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं।
- 7.2.2 उन्हें यह वचन देना होगा कि वे निदेशक मण्डल के उदासीन सदस्यों की पूर्व स्वीकृति के बिना हितों के टकराव से बचेंगे। हितों का टकराव तब हो सकता है जब उनका कोई व्यक्तिगत हित हो जिसका कंपनी के हितों के साथ टकराव होने की संभावना हो। उदाहरणात्मक मामले हो सकते हैं:
- संबंधित पार्टी संव्यवहार  
कंपनी अथवा उसकी सहायक कंपनियों के साथ कोई संव्यवहार अथवा संबंध स्थापित करना, जिसमें उनका वित्तीय अथवा अन्य व्यक्तिगत हित हो (प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जैसे कि किसी पारिवारिक सदस्य अथवा रिश्तेदार अथवा अन्य व्यक्ति अथवा अन्य संगठन के जरिए जिसके साथ वे जुड़े हों)।
  - बाह्य निदेशक पद  
किसी अन्य कंपनी के निदेशक मण्डल में निदेशक पद स्वीकार करना जो कंपनी के कारोबार के साथ प्रतिस्पर्धा करती हो।
  - परामर्श / कारोबार / रोजगार  
किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल होना (चाहे वह परामर्श सेवा प्रदान करने, कारोबार जारी रखने, रोजगार स्वीकार करने की प्रकृति का हो) जिससे कंपनी के प्रति उनके कर्तव्यों/जिम्मेदारियों में हस्तक्षेप अथवा टकराव होने की संभावना

हो। उन्हें कंपनी के किसी भी आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदाता अथवा ग्राहक के साथ किसी भी अन्य तरीके से निवेश अथवा संबद्धता नहीं करनी चाहिए।

#### 7.2.3 - व्यक्तिगत लाभ के लिए आधिकारिक पद का उपयोग

उन्हें अपने आधिकारिक पद का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं करना चाहिए।

### 7.3 कारोबारी आचार एवं नैतिकता संहिता का अनुपालन

#### 7.3.1 कंपनी के निदेशक मण्डल के सभी सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन इस संहिता के सिद्धांतों को बनाए रखेंगे तथा बढ़ावा देंगे

संगठन का भविष्य तकनीकी एवं नैतिक उत्कृष्टता दोनों पर निर्भर करता है। केवल निदेशक मण्डल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए इस संहिता के सिद्धांतों का पालन करना महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु उनमें से प्रत्येक को दूसरों को भी इसके पालन के लिए प्रोत्साहित एवं समर्थन करना चाहिए।

#### 7.3.2 इस संहिता के उल्लंघन को संगठन के साथ असंगत संगति के रूप में मानें

पेशेवरों द्वारा आचार संहिता का पालन करना व्यापक तौर पर एवं सामान्यतः स्वैच्छिक मामला है। यद्यपि, यदि निदेशक मण्डल के सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन में से कोई भी इस संहिता का पालन नहीं करता है, तो मामले की निदेशक मण्डल द्वारा समीक्षा की जाएगी तथा उनका निर्णय अंतिम होगा। कंपनी चूककर्ता के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

### 7.4 विविध बिंदु

#### 7.4.1 संहिता का निरंतर अद्यतन

यह संहिता कानून में किसी भी परिवर्तन, कंपनी के दर्शन, विज्ञान, कारोबार योजनाओं में परिवर्तन अथवा अन्यथा निदेशक मण्डल द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले परिवर्तनों के अनुरूप निरंतर समीक्षा एवं अद्यतन के अधीन है तथा ऐसे सभी संशोधन/संशोधन उसमें उल्लिखित तारीख से प्रभावी होंगे।

#### 7.4.2 जहां स्पष्टीकरण आवश्यक है

निदेशक मण्डल अथवा वरिष्ठ प्रबंधन के किसी भी सदस्य को इस आचार संहिता के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो वे कंपनी सचिव/निदेशक मंडल द्वारा विशेष रूप से नामित किसी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

\*\*\*\*\*